फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द
– **अपीलांट**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़
– **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.03.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः/सू. अधि./2021/25–26 दिनांक 19.03.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार श्री गोपाल कंसारा निवासी देवगढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2020 को पेश किया गया। जो इस कार्यालय को दिनांक 21.12.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में 4 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः सू.अधि./2021/17 दिनांक 22.02.2021 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड भिजवाई गई। आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार हैं। बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में निवेदन है कि किसी भी दस्तावेज को खारिज करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय अधिकृत है, न कि उपपंजीयक को क्षैत्राधिकार हैं। अपील के बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में निवेदन है कि रजिस्ट्री, विक्रेता के स्वयं द्वारा की जाने वाली उद्घोषणा व अभिवचन के आधार पर किये जाने का प्रावधान है, झुठे तथ्यों की जॉच व कार्यवाही हेतु भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रावधान हैं। बिन्दु संख्या 3 व 4 के संदर्भ में निवेदन है कि रजिस्ट्री में झुठे तथ्यों को अंकित करने पर विक्रेता स्वयं भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषी होता हैं। जिसकी जॉच व कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा करवायी जा सकती हैं। राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 1955 (भाग–1) अर्न्तगत नियम 39 अनुसार उपपंजियक द्वारा संपति की वैधता की जॉच करने का अधिकार नही हैं। आवेदक द्वारा सूचना पहचान हेतु सूचना की पूर्ण विशिष्टिया अंकित नही की गई एवं प्रश्नात्मक सूचना चाही है जिससे सूचना की पहचान नही हो रही हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्टानुसार प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा	

सूचना पहचान हेतु सूचना की पूर्ण विशिष्टिया अंकित नही की गई एवं प्रश्नात्मक सूचना चाही है जिससे सूचना की पहचान नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाकर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)